

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 29/2020

जीसीएमएस संख्या (2020/00046)

निर्णय दिनांक:- 4-9-25

1. नत्थू सिंह पुत्र श्री गोरख सिंह जाति राजपूत निवासी बागडसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांत

—बनाम—



1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री किशनचन्द्र जाति जाट निवासी चक 1 डी.ओ.बी.बी. ए तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।
3. चमना पत्नी पठान खां जाति मुसलमान निवासी बागडसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
- 3/1 महबुब खां पुत्र चमना जाति मुसलमान निवासी बागडसर तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।
- 3/2 सिकन्दर खां पुत्र चमना जाति मुसलमान निवासी बागडसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 216/2018

जीसीएमएस संख्या (2018/00311)

निर्णय दिनांक:-

1. नत्थू सिंह पुत्र श्री गोरख सिंह जाति राजपूत निवासी बागडसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांत

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार बज्जू।

रेस्पोडेन्ट


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री रणजीत निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने उक्त अपीलें के सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के 21-01-1999 व आदेश दिनांक 10-11-2008 के द्वारा अपीलांट की भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया गया के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत दोनो अपीलो में वादग्रस्त भूमि और पक्षकार समान है। इसलिए दोनो अपीलों को एक ही कोमन निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। इस निर्णय की एक-एक प्रति दोनो पत्रावलियों में रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किये कि अपीलांट के नाम ग्राम बांगडसर तहसील कोलायत में खसरा नम्बर 771 में 43 बीघा 12 बिस्वा भूमि आराजी काश्त आवंटन के तहत आवंटित है। जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता रहा है। अपीलांट ने उक्त आराजी जैर पर मेहनत करके काफी पैसे खर्च करके आराजी जैर को सुधार तथा काबिल काश्त बनाया। अपीलांट उक्त आराजी जैर का मालकाना राजस्व आदि समय समय पर खजानाराज में जमा करवाता रहा है।

उक्त आराजी जैर बाद में चक बंदी उपनिवेशन तहसील कोलायत नंबर 1 में चक 1 डी.ओ.बी.बी. ए में मुरब्बा नं. 115/8 में


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



[3]

किला नं. 16, 25 में 2 बीघा कमाण्ड मु.न. 115/16 में किला नं. 20, 21 में 2 बीघा कमाण्ड, मु.न. 116/1 में किला नं. 5, 6 15 ता 17, 24, 25 में 7 बीघा कमाण्ड मुरब्बा नं. 116/9 में किला नं. 1, 2, 9 ता 13, 18 ता 24 में 14 बीघा कमाण्ड मु.न. 116/10 में किला नं. 1 ता 4, 7 ता 10, 12 ता 17, 24 में 15 बीघा कमाण्ड मु.न. 116/2 में किला नं. 4 ता 6 में 3 बीघा कमाण्ड किला नं. 7 में 1 बीघा अनकमाण्ड कुल 43 बीघा कामण्ड 1 बीघा अनकमाण्ड कुल 44 बीघा भूमि में पैमूद हुआ। अपीलांट का आराजी जैर पर आवंटन बाद से निरन्तर कब्जा काशत चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी जैर के चकबन्दी में आने के बाद पुख्ता आवंटन हेतु सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। दिनांक 21-01-1999 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा अपीलांट के नाम उपलब्ध रिकॉर्ड के विपरीत चक 1 डीओबीबी ए में मुरब्बा नं. 116/2 में किला नं. 4 ता 6 की 3 बीघा भूमि के स्थान पर किला नंबर 1 की 1 बीघा भूमि आवंटित कर दी। मुरब्बा नं. 116/2 में किला नम्बर 1 की 1 बीघा भूमि अपीलांट के नाम पूर्व में आवंटित ही नहीं थी ना ही तहसील प्रतिवेदन एवं अपीलांट के फोटो फॉर्म में उक्त रकबा दर्ज है। अपीलांट का मुरब्बा नं. 116/2 में किला नं. 4 ता 6 की 3 बीघा भूमि पर कब्जा काशत है। तथा अपीलांट उक्त भूमि पुख्ता आवंटन करवाने के लिए मुशतहक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10-11-2008 को बिना अपीलांट को कोई नोटिस दिये उक्त आराजी जैर का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को बतौर स्मॉल पेच आवंटित कर कानूनी भूल कारित की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन करते हुए कहा कि उक्त वादग्रस्त आराजी के आवंटन करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने बिना कोई नोटिस दिये तमाम कार्यवाही अपीलांट की गैर हाजरी में एकतरफा तौर पर की गई है। उक्त भूमि पूर्व में ही आवंटन सुदा है जो किसी अन्य को आवंटित नहीं की जा सकती है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि रेस्पोजेन्ट सं. 1 का मुरब्बा 4 मुरब्बा दूर स्थित है। इसलिए रेस्पोजेन्ट संख्या 1 टेन्योर टिनेन्ट नहीं है। स्मॉल पेच आवंटन हेतु केवल एडजोइनिंग टिनेन्ट होना आवश्यक है। उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट की स्वअर्जित भूमि है जिसका आवंटन




राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

[4]

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाई जावे।


अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 पर बहस करते हुए कथन किया कि दिनांक 13-04-2010 को अपीलांट किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु दस्तावेज लेने गया तो आदेश की जानकारी हुई तब अपीलांट ने उसी दिन नकल के लिए आवेदन किया तथा दिनांक 15-04-2010 को नकल प्राप्त की। अपीलांट द्वारा जानबुझकर देरी नहीं की है। अपीलांट को जानकारी की दिनांक से व नकल दिये जाने की दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5.

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट की भूमि चक 1 डीओबीबी ए के मुरब्बा नं. 115/40 में स्थित है। उक्त मुरब्बा के निकट ही मुरब्बा नं. 116/2 के किला नं. 4 ता 6 में कुल 4 बीघा भूमि आराजीराज दर्ज चली आ रही थी। रेस्पोंडेन्ट द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी हितधारी कृषको को नोटिस जारी किये गये। जिनकी विधिवत तामील करवाई गई थी। विधिवत तामील प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भी कोई हितधारी कृषक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटित की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए रेस्पोंडेन्ट को प्रथम किस्त की राशि 7438/-रु. जमा करवाने के आदेश जारी किये गये। जिस पर रेस्पोंडेन्ट द्वारा जरिये जीए 55 सं. 466681/71 दिनांक 10-11-08 को राशि 7438/-रु. खजानाराज में जमा करवाए। उक्त राशि जमा करवाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन आदेश जारी किया गया।

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने आगे कथन किया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसे कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह साबित होता हो कि आराजी जैर पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। रेस्पोंडेन्ट सं. 1 को उक्त आराजी जैर की खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी जैर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 को विक्रय कर दी है।




राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

[5]

अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 10-11-2008 को जारी किया गया है तथा अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 19-04-2010 को पेश की गई है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। तथा अपीलांट ने मियाद कंडोने करने हेतु कोई ठोस वजह भी अपने प्रार्थना पत्र में नहीं बताई है। इसलिए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

6. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने से पूर्व सर्वप्रथम मियाद का बिन्दू तय किया जाना है, मियाद के बिन्दू पर अपीलांट का कथन है कि दिनांक 13-04-2010 को अपीलांट किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु दस्तावेज लेने गया तो आदेश की जानकारी हुई तब अपीलांट ने उसी दिन नकल के लिए आवेदन किया तथा दिनांक 15-04-2010 को नकल प्राप्त की। अपीलांट द्वारा जानबुझकर देरी नहीं की है। अपीलांट को जानकारी की दिनांक से व नकल दिये जाने की दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। जवाब में रेस्पोजेन्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 10-11-2008 को जारी किया गया है तथा अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 19-04-2010 को पेश की गई है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। तथा अपीलांट ने मियाद कंडोने करने हेतु कोई ठोस वजह भी अपने प्रार्थना पत्र में नहीं बताई है। इसलिए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावे।



अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21-01-1999 व आदेश दिनांक 10-11-2008 के विरुद्ध अपीले दिनांक 19-04-2010 को दायर की है। तथा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जवाब में रेस्पोजेन्ट द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की बिना जानकारी के पारित किया गया है इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत

राजस्थान हाईकोर्ट
बीकानेर

आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए दोनो अपीले अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांत द्वारा अपील का आधार यह लिया गया है कि ग्राम बागडसर के खसरा नम्बर 771 में 43 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलांत को आरजी काश्त आवंटन के तहत आवंटित है। अपीलांत द्वारा इस भूमि को जिन किलो में पैमुद होना अभिकथित किया है उसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य (यथा सूची नम्बर 4) प्रस्तुत नहीं किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21-01-1999 के द्वारा अपीलांत को जिस भूमि का आवंटन किया गया है उसमें रेस्पोजेन्ट को स्मॉलपेच में आवंटित भूमि शामिल नहीं है। यह सही है कि रेस्पोजेन्ट सावित्री की भूमि आवंटित भूमि से चिपती भूमि नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त चिपते काश्तकारो को जरिये नोटिस सूचित किया गया था। अपीलांत नत्थूसिंह को भी जरिये नोटिस सूचित किया गया था जिसकी तामील स्वयं अपीलांत पर होना प्रकट होता है। अपीलांत ने अपनी अपील अथवा बहस में इस तथ्य से इंकार नहीं किया है कि नोटिस पर उसके अंगुठा निशान नहीं है। अपीलांत बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन भूमि को आवंटित करवाने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। चिपते काश्तकारो के आवेदन न किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। नियम 14 के अनुसार Allotment of small patch (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, small patch of Government land may be allotted, to a tenure tenant whose tenure land adjoins such patch, subject to the ceiling area at the inbox price for land of a similar soil class in the neighbourhood.




राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

[7]


Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of such small patch to the tenant of the same chak or of the adjoining chak.

वरवक्त आवंटन अपीलाधीन भूमि रकबाराज थी। वर्तमान में अपीलाधीन भूमि की खातेदार जारी हो चुकी है। अपीलांट द्वारा इस खातेदारी को चुनौती दिये जाने के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीले खारिज कर अपीलाधीन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के 21-01-1999 व आदेश दिनांक 10-11-2008 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4-9-25 को सरे इजलास सुनाया गया।




(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्थान राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर